न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्र.सं. 5/2024 (रिमाण्ड 49/2016)
जीसीएमएस : 2024/305

1. मुकेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. महावीर प्रसाद पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. बलदेव पुत्र हरिराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. मनीराम पुत्र हरिराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. श्रवण कुमार पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. दलीप कुमार पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिंहनगर।
6. सुनीता पत्नी श्रवणकुमार जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. देवीलाल पुत्र हरिराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
8. खेता पुत्र श्री काना जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
9. गोविन्द पुत्र श्री बींझा जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
10. अरविन्द पुत्र दयाराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 19.09.2024

उपस्थित अधिवक्ता गण

1. श्री अजय कुमार तनेजा अधि. प्रार्थीगण।
2. श्री कृष्णलाल लदोईया अधि. सं. 1 ता 4—6—8—9।
3. श्री अवतार सिंह बराड़ अधि. अप्रार्थी. सं. 7—10।

—: निर्णय :— दिनांक : 07.11.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान् [illegible] राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक/राम/न्याय/निगरानी [illegible]ार/2019/5141 दिनांक 04.09.2024 को माननीय राजस्व मण्डल [illegible] .08.2024 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय 18.0[illegible] एवं श्रीमान् राजस्व [illegible] प्राधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक [illegible] को निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इन आदेशों के साथ [illegible] 69 की पालना कर प्रकरण का पुनः विधि सम्मत् निस्तारण करने एवं उभय पक्ष[illegible] आदेशित किया गया कि इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 20.09.2024 को उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र पुनः रिमाण्ड होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण की तरफ से श्री अजय कुमार तनेजा अधि. व अप्रार्थी सं. 1 ता 4–6–9 की तरफ से श्री कृष्णलाल लदोईय अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 7–10 की तरफ श्री अवतार सिंह बराड़ अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। तहसीलदार रायसिंहनगर को पुनः मौका रिपोर्ट स्वयं मौका निरीक्षण करते हुए पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रार्थी सं. 7–10 की तरफ से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि अनावेदक सं. 1 ता 4 के मु.नं. 50 के कि.नं. 3–8–13–18–23 में कोई रास्ता वर्तमान में नही चल रहा है बल्कि अनावेदकगण सं. 1 ता 4 ने बंद कर दिया। प्रस्तावित रास्ता मौका पर नहीं चल रहा है बल्कि मु.नं. 50 के कि.नं. 1–10–11–20 व 21 के पश्चिमी पासा में चल रहा है ओर इसी रास्ता की स्वीकृति की अनुशंषा श्रीमान् तहसीलदार द्वारा की गई है उक्त रास्ता ही सरल, सुगम, सुविधाजनक है अतिरिक्त कथन में अंकित है कि चक 26 पी.एस.बी. के मुरब्बा नं. 50 के कि.नं. 1–10–11–20 व 21 के पश्चिमी पासा प्रत्येक में 0.025 है. कुल 0.125 है. रास्ता आवेदकगण व अन्य काश्तकारों को अपनी भूमियों में आवागमन के लिये सरल, सुगम व सुविधाजनक है ओर उक्त रास्ता स्वीकृत करने पर मिन अनावेदकगण को कोई एतराज नहीं है इसलिये आवेदक का आवेदन स्वीकार कर श्रीमान् तहसीलदार की अनुशंषा अनुसार मिन अनावेदकगण व अन्य अनावेदकगण के रकबा में रास्ता मिन अनावेदकगण को समुचित मुआवजा दिलाते हुये स्वीकृत किया जाता है तो न्यायोचित व सुविधा पूर्ण होगा। अतः जवाब आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदगण स्वीकार फरमाया जाकर श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा अनुसार रास्ता स्वीकार किया जाता है तो मिन अनावेदकगण को कोई एतराज नहीं है ओर मिन अनावेदकगण को उनके रकबा में रास्ता स्वीकृत करने पर समुचित मुआवजा दिलाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2025/73 दिनांक 11.02.2025 स्वयं की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया कि दिनांक 06.02.2025 को पटवार हल्का, भू.अभि.नि. एवं प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के साथ स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया। मुताबिक रिकार्ड प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई साकिन लिखमेंवाला के नाम चक 26 पीएसबी खाता संख्या 99 प.नं. 221/289 मु.नं. 53 का कि.नं. 5–9/2–10 का 1.708 है. नहरी मय खाला भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, जो स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रायसिंहनगर के रहन दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपना रकबा में आवागमन हेतु चक 26 पीएस–बी के मु.नं. 44–45 के कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुद्वा रास्ता से मु.नं. 50 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की मांग की है। मौका पर प्रार्थी से आवागमन के संबंध में पूछताछ की गई तो प्रार्थी ने बतलाया की मौका पर मेरे द्वारा नहर के पटड़े से आवागमन कर खेत में जुताई–बिजाई का कार्य किया जाता है लेकिन नहरी विभाग द्वारा ऐतराज किया जाता है मौके पर उपस्थित अप्रार्थी दलीप कुमार पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई ने बतलाया कि खेत के बीच मे रास्ता न दिया जाकर मुरब्बा के एक तरफ रास्ता दिया जाकर रास्ते की भूमि के बदले में भूमि दी जावे तो उसे कोई एतराज नहीं है जबकि प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र देवीलाल जाति बिश्नोई ने भूमि न देकर डीएलसी दर से राशि देने पर सहमति व्यक्त की है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग चक 26 पीएस बी के मु.नं. 53 के कि.नं. 1 ता 5–9/2–10 का 1.708 है. में आवागमन हेतु चक 26 पीएसबी के प.नं. 221/288 मु.नं. 50 के कि.नं. 1–10–11–20–21 पश्चिम पासा प्रत्येक में 0.025 है. कुल 0.125 है. रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. दिनांक 29.09.2025 को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने [illegible] राजीनामा पेश कर कथन किया कि उक्त अनवान संदर्भ के प्रकरण [illegible] तथा अप्रार्थीगण का आपस में राजीनामा हो गया है तथा बरुये राजीनामा [illegible] द्वारा वांछित रास्ता चक 26 पीएसबी तहसील रायसिंहनगर की मु.नं. 50 [illegible] 221/288 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक 0.025–0.025 है. पूर्वी पासा [illegible] स्वीकृत करवाना चाहा गया है उसमें हम पक्षकारांन एवं अप्रार्थीगण सहमत है तथा अपनी सहमति देते है कि

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 15:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उक्त किलाजात में 0.025–0.025 है. पूर्वी में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाता है तो उसमे हम किसी भी पक्षकारान को कोई आपति नहीं है तथा ना ही इस स्वीकृत किए जाने वाले रास्ता की भूमि बावत हम भविष्य में कभी कोई आपत्ति व एतराज नहीं करेंगे इसके अतिरिक्त पक्षकार मनीराम ने इसी चक के मु.नं. 29 के कि.नं. 13 में 5 बिस्वा भूमि पक्षकारान प्रार्थीगण के पिता श्री देवीलाल से उक्त रास्ता की भूमि के बदले भूमि प्राप्त कर ली है अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अनवान सदर के प्रकरण की पत्रावली आज की पेशी मे ली जाकर पक्षकारान का राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर चक 26 पी.एस.बी. तहसील रायसिहनगर का मु.नं. 50 प.नं. 221/288 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. पूर्वी पासा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता की भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

5. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने दिनांक 29.09.2025 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति दी है प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का राजीनामा हो चुका है राजीनामा में अंकित चक 26 पी.एस.बी. तहसील रायसिहनगर का मु.नं. 50 प.नं. 221/288 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. कुल 0.125 है.पूर्वी पासा रास्ता स्वीकृत करने पर सहमत है अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.09.2025 के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीग अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा दिनांक 29.09.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 26 पी.एस.बी. तहसील रायसिहनगर का मु.नं. 50 प.नं. 221/288 के कि.नं. 3–8–13–18–23 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. कुल 0.125 है. पूर्वी पासा गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ता बिना किसी मुआवजा के आदान–प्रदान कर स्वीकृत किया जाता हैं निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.11 16:25:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner